राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक- प.9(6)राज.-6/2000 /2 जयपुर,दिनांक:- 30.01.2006

1. समस्त संभागीय आयुक्त।
2. समस्त जिला कलेक्टर।

:: परिपत्र ::

इस विभाग के परिपत्र संख्या-प.9(6)राज-6/2000/14 दिनांक 31.07.01 तथा 9(6)राज-6/2000/16, दिनांक 16.10.2001 के द्वारा अधिसूचित समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में सिवायचक एवं अन्य गैर मुमकिन राजस्व भूमियों पर दिनांक 1.07.1989 से पूर्व आवास गृह व जानवरों के बाडे बनाकर किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने के निर्देश जारी किये गये थे। अब राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि दिनांक 1.07.1989 की अवधि को बढाकर 1.1.1995 कर दिया जाये।

अतिक्रमणों के सभी नियमन उन्ही शर्तो और निर्बन्धनों पर किया जाएगा जो दि0 18.2.1955 से 1.7.1975 तक किए गए अतिक्रमणों के नियमन पर लागू है तथा परिपत्र कमांक प. 6(17)राज/ख/71, दि0 3.7.71 तथा परिपत्र कमांक प. 6(10)राज/4/77, दिनांक 23.4.77 में उल्लेखित है।

यह आदेश रिकार्ड में वन विभाग के नाम दर्ज भूमि व अन्य प्रतिबन्धित किस्में जैसे- ओरण,जोहड,पायतन, नदी, तालाब के पेटे श्मशान, कब्रिस्तान व मन्दिरों की भूमियों पर तथा किसी उद्धेश्य हेतु अवाप्तिशुदा भूमियों, राजकीय उपकम या राजकीय विभाग की भूमियों पर लागू नही होंगे। स्थानीय निकायों की शहरी व पेरीफेरी क्षेत्रों में यह नियम/निर्देश लागू नहीं होंगे व किसी भी प्रकार की सरकारी जमीन पर आवास व बाडों का नियमन नही किया जायेगा। शहरी व पेरीफेरी क्षेत्रों के बारे में निर्णय संबंधित शहरी निकाय लेगा।

आज्ञा से,

30.1.2006

(के0 जी0 अग्रवाल)
शासन उपसचिव,राजस्व

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1.निजी सचिव,मा0मुख्यमंत्री महोदया/विशिष्टसहायक,मा0राजस्व मंत्री महोदय
2. निजी सचिव,मुख्य सचिव,राज0,जयपुर।
3. निबन्धक,राजस्व मण्डल,राज0,अजमेर।
4. रविरा,राजस्व मण्डल,राज0,अजमेर।
5. अतिरिक्त निबन्धक,राजस्व मण्डल(वित्त एवं लेखा),अजमेर।
6. समस्त उप शासन सचिव,राजस्व विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

30.1.2006

शासन उपसचिव,राजस्व